कार्यालय, प्रभारी अधिकारी (प्रशासन),
जनपद न्यायालय, कौशाम्बी

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, कौशाम्बी परिसर में स्थित एलाइड भवनों में दो नग कैन्टीन की नीलामी दिनांक : **30–09–2024** को अपरान्ह् 01:30 बजे पूर्ववत् नियम एवं शर्तो के अनुसार इस न्यायिक अधिष्ठान के सभागार में की जायेगी। नीलामी हेतु आवेदन प्रातः दिनांक : **20–09–2024 से दिनांक : 30–09–2024 (नीलामी के पूर्व) तक** किसी भी कार्यदिवस में नज़ारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, कौशाम्बी से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं।

नीलामी प्रकिया की नियम एवं शर्ते माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in एवं जनपद न्यायालय, कौशाम्बी की आधिकारिक वेबसाइट https://districts.ecourts.gov.in/kaushambi पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त नीलामी से सम्बन्धित अन्य विवरण न्यायालय के सूचना पट अथवा केन्द्रीय नज़ारत अनुभाग से किसी भी कार्यदिवस को प्राप्त किये जा सकते हैं। दिनांक : **30–09–2024** को होने वाली नीलामी में अधिक से अधिक बोलीदाताओं की उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु नीलामी सूचना को जनपद मुख्यालय के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों तथा प्रमुख समाचार–पत्रों में प्रकाशित किया जाये।

नीलामी के आवेदन पत्र के साथ आवेदक को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा 02 पासपोर्ट साइज की वर्तमान रंगीन फोटो जमा करना होगा।

अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला जज–प्रथम,
जनपद न्यायालय, कौशाम्बी।

प्रतिलिपि :–

1. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय, कौशाम्बी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. नोडल अधिकारी (कम्प्यूटर्स), जनपद न्यायालय, कौशाम्बी को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय, कौशाम्बी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कराने के आशय से प्रेषित।
4. मुख्य विकास अधिकारी, विकास भवन, कौशाम्बी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. जिला सूचना अधिकारी, मंझनुपर, कौशाम्बी को दो प्रमुख समाचार पत्रों में दिनांक : **20–09–2024** को निःशुल्क सूचना के प्रकाशन तथा समाचार पत्र की एक–एक प्रति नज़ारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, कौशाम्बी में प्राप्त कराने हेतु प्रेषित।
6. प्रशासकीय अधिकारी, जनपद न्यायालय, कौशाम्बी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषित।
7. डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, कौशाम्बी को वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के आशय से प्रेषित।
8. नगर पालिका, कौशाम्बी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषित।
9. नाज़िर तहसील सदर, कौशाम्बी को आवश्यक कार्यवाही एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषित।
10. नज़ारत को सार्वजनिक स्थलों एवं बस स्टैण्ड, मंझनपुर पर चस्पा करने के आशय से प्रेषित।

दो नग कैण्टीन को मासिक किराये पर नीलामी पर देने हेतु नीलामी समिति द्वारा निर्गत नियम एवं शर्ते।

1. दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना की तिथि से 10 दिनों के भीतर किये गये आवेदन मान्य होगें, इसके पश्चात किये गये आवेदनों पर विचार नही किया जायेगा।
2. आवेदन पत्र किसी भी कार्यदिवस में निःशुल्क नज़ारत अनुभाग से प्राप्त किये जा सकते हैं।
3. आवेदन पत्र के साथ आवेदक को आधार कार्ड तथा पैन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं दो रंगीन फोटो जमा करना होगा।
4. नीलामी में कोई अधिवक्तागण आवेदन पत्र जमा नहीं कर सकते है।
5. कैन्टीन की नीलामी खाद्य एवं पेय पदार्थो के लिए की जायेगी, इसमें किसी भी नशीली वस्तुओं का विक्रय नही किया जायेगा।
6. नीलामी के पूर्व बोली बोलने वाले को जमानत राशि के रुप में रु0 10,000/– मात्र आवेदन पत्र के साथ नज़ारत अनुभाग में जमा करनी होगी। नीलामी में असफल आवेदक को नीलामी के उपरान्त उसी दिन जमानत धनराशि वापस कर दी जायेगी।
7. नीलामी में आवेदक को जिलाधिकारी, कौशाम्बी द्वारा नियत किए गये मानकीकृत किराये/भाड़े से ऊपर बोली बोलनी होगी।
8. नीलामी में सफल आवेदक/व्यक्ति को नीलामी में तय अधिकतम बोली के अनुसार तीन माह का किराया 03 दिनों के भीतर तथा अगली हर तिमाही का किराया, तिमाही के प्रथम माह की 05 तारीख तक जमा करना होगा।
9. नीलामी में सफल आवेदक/व्यक्ति को यह अधिकार नही होगा कि वह किसी अन्य को दुकान सबलेट कर सके, फिर चाहे वह उसका सगा–सम्बन्धी ही क्यूँ न हो।
10. नीलामी में निर्धारित की दुकान एवं कैन्टीन की जगह पर ही नीलामी में सफल आवेदक/व्यक्ति को अपना व्यवसाय चलाना होगा।
11. नीलामी में सफल आवेदक/व्यक्ति को पानी एवं बिजली की नियमानुसार व्यवस्था स्वयं करनी होगी तथा उसके बिल का भुगतान नियत समय पर करना होगा।
12. नीलामी में सफल आवेदक/व्यक्ति को रु0 100/–मात्र का स्टाम्प स्वयं लाना होगा तथा नियमानुसार अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा।
13. नीलामी में सफल व्यक्ति को नीलामी के निर्धारित की गयी दुकान/कैन्टीन के चारों तरफ की साफ–सफाई की व्यवस्था स्वयं करनी होगी, बिना अनुमति के किसी प्रकार का कोई अस्थायी एवं स्थायी निर्माण नही करवायेगा तथा परिसर में किसी भी प्रकार का अवांछनीय कृत्य नहीं करेगा।
14. नीलामी में सफल आवेदक/व्यक्ति नीलामी के उपरान्त न्यायालय परिसर में कोई गैर कानूनी कार्य नही करेगा, यदि वह ऐसा करता पाया जायेगा तो उसकी जमा धनराशि को जब्त करते हुए तुरन्त दुकान खाली करनी पडेगी एवं उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
15. नीलामी एक वित्तीय वर्ष 2024–25 (31 मार्च, 2025 तक) की अवधि के लिए मान्य होगी तथा नीलामी की अवधि अतिरिक्त एक वित्तीय वर्ष बढाये जाने पर नीलामी में सफल आवेदक को नीलामी में पहले स्वीकृत किराये/भाड़े में **10 प्रतिशत प्रति वित्तीय वर्ष की वृद्धि की जायेगी।**
16. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को उपरोक्त शर्तो के उल्लंघन एवं बगैर कारण बताये नीलामी की प्रकिया को किसी भी स्तर पर निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
17. नीलामी मात्र दो नग कैन्टीन हेतु की जा रही है, जिसका कारपेट एरिया 133.245 वर्गफुट है। नीलामी में सफल व्यक्ति द्वारा किसी भी परिस्थिति में इसके अतिरिक्त एरिया (लिटिगेन्ट शेड) का उपयोग नही किया जायेगा।
18. दो नग कैन्टीन की नीलामी एक ही सफल व्यक्ति को आवंटित की जायेगी।

अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला जज–प्रथम,
जनपद न्यायालय, कौशाम्बी। 18/09/24

जिला न्यायाधीश
कौशाम्बी

प्रतिलिपि :–

1. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के सादर अवलोकनार्थ एवं अनुमोदन हेतु।

अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला जज–प्रथम,
जनपद न्यायालय, कौशाम्बी।
18/09/24